संकल्प संख्या– वि.प्रा.(I) व^{2}–03/2012–   /पटना, दिनांक–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषयः– सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–10834/2012 डा. लालबाबू सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक 09.07.2012 को पारित आदेश एवं एम.जे.सी. संख्या–4163/2012 डा. लालबाबू सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के आलोक में रिट आवेदकों के मामले में विभागीय संकल्प संख्या–2131, दिनांक 14.09.2012 को दिनांक 31.07.2012 से प्रभावी मानते हुए उनके सेवानिवृति की आयु 62 (बासठ) वर्ष से बढ़ाकर 65 (पैंसठ) वर्ष करने तथा परिणामिक वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

दिनांक 05.03.2010 को अधिसूचित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उक्त विनियमों से आच्छादित विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में क्लास रूम शिक्षण में शामिल शिक्षकों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–2131, दिनांक 14.09.2012 के द्वारा सेवा निवृति की आयु 62 (बासठ) वर्ष से बढ़ाकर 65 (पैंसठ) वर्ष करने का निर्णय लिया गया था तथा इसे आदेश निर्गत की तिथि से लागू किया गया।

2 राज्य सरकार ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–10834/2012 डा. लालबाबू सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक 09.07.2012 को पारित आदेश एवं एम.जे.सी. संख्या–4163/2012 डा. लालबाबू सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के आलोक में रिट आवेदकों यथा डा. लालबाबू सिंह, सह प्राध्यापक, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना एवं श्री सुशील झा, सहायक प्राध्यापक, बी.सी.ई. भागलपुर के मामले में विभागीय संकल्प संख्या–2131, दिनांक 14.09.2012 को दिनांक 31.07.2012 से प्रभावी मानते हुए उनके सेवानिवृति की आयु 62 (बासठ) वर्ष से बढ़ाकर 65 (पैंसठ) वर्ष करने तथा परिणामिक वित्तीय लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है।

3 रिट आवेदकों यथा डा. लालबाबू सिंह, सह प्राध्यापक, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना एवं श्री सुशील झा, सहायक प्राध्यापक, बी.सी.ई. भागलपुर के मामले में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2131, दिनांक 14.09.2012 को दिनांक 31.07.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4 यह संकल्प राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 18.02.2014 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या 29 पर लिये गए निर्णय के आलोक में निर्गत किया जाता है। इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह./ –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि०प्रा०(I) व^{2}–03/2012–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(I) व^{2}–03/2012–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(I) व^{2}–03/2012–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, पटना/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(I) व^{2}–03/2012–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13/बी.सी.ई. भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(I) व^{2}–03/2012–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.02.2014 में मद संख्या– 29 में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(I) व^{2}–03/2012–   /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सभी पदाधिकारियों/सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(I) व^{2}–03/2012– 606 /पटना, दिनांक– 3.3.2014

प्रतिलिपि – आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को विभाग के Web-site पर upload कर दिया जाय।

3/3/14
सरकार के अपर सचिव